वित्त वर्ष 18 माता-पिता व परिवार सहभागिता योजना
DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट स्तर
स्कूल वर्ष 2017-2018

संशोधन तिथि: 20 सितंबर, 2017

विद्यार्थियों की अकादमिक उपलब्धि को मजबूत करने में सहायता करने के लिए, **DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट** को शीर्षक I, भाग क निधि प्राप्त हुई है और इसलिए भाग लेने वाले बच्चों के माता-पिता व परिवारके सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से, उनकी सहमती से, और उन्हें लिखित माता-पिता व परिवार सहभागिता नीति तैयार करनी चाहिए जिसमें कि एवरी स्टूडेंट सक्सीड्स एक्ट (ईएसएसए) की धारा 1116(क) (2) द्वारा आवश्यक जानकारी शामिल है। इस नीति द्वारा अर्थपूर्ण माता-पिता व परिवार सहभागिता के लिए एलईए की अपेक्षाएं और उद्देश्य स्थापित किए गए हैं और इसमें माता-पिता परिवार सहभागिता की अनेक विशिष्ट गतिविधियों को लागू करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है और इसे Georgia शिक्षा विभाग के पास प्रस्तुत एलईए की योजना में शामिल किया गया है।

DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा धारा 1116 द्वारा उल्लिखित निम्नलिखित आवश्यकताओं को लागू करने की सहमती दी गई है:

- स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा शीर्षक I, भाग क कार्यक्रमों में शामिल अपने सभी स्कूलों में माता-पिता व परिवार के सदस्यों की सहभागिता के लिए कार्यक्रम, गतिविधियां, और प्रक्रियाएं लागू की जाएंगी। इन कार्यक्रमों, गतिविधियों, और प्रक्रियाओं को आयोजित व उनका संचालन भाग लेने वाले बच्चों के माता-पिता व परिवार के सदस्यों के साथ अर्थपूर्ण परामर्श के साथ किया जाएगा।

- धारा 1116 के साथ अनुरूपता में, स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा अपने स्कूलों के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कूल के स्तर पर आवश्यक माता-पिता व परिवार सहभागिता नीतियां ईएसएसए की धारा 1116(ख) की आवश्यकताओं को पूरा करती हो, और प्रत्येक में ईएसएसए की धारा 1116(घ) के साथ अनुरूपता में स्कूल-माता-पिता संविदा एक घटक के रूप में शामिल हो।

- व्यावहारिक रूप से शीर्षक I, भाग क माता-पिता व परिवार सहभागिता आवश्यकताओं को पूरा करने में, स्कूल डिस्ट्रिक्ट और उसके स्कूलों द्वारा अंग्रेज़ी में सीमित प्रवीणता, सीमित साक्षरता, विकलांगता, प्रवासी बच्चों के माता-पिता को भाग लेने के लिए ईएसएसए की धारा 1111 के अंतर्गत अनुरोध पर और जहाँ तक व्यावहारिक हो माता-पिता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में वैकल्पिक प्रारूपों सहित समझने योग्य व समान प्रारूप में आवश्यक जानकारी व स्कूल रिपोर्ट्स सहित पूर्ण अवसर प्रदान किए जाएंगे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, या जो नस्लीय या जातीय अल्पसंख्यक वर्ग से संबंध रखते हों।

- यदि ईएसईए की धारा 1112 के अंतर्गत तैयार किए गए शीर्षक I, भाग क के लिए एलईए योजना से प्रतिभागी बच्चों के माता-पिता संतुष्ट नहीं हों, तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा राज्य के शिक्षा विभाग को योजना प्रस्तुत करते समय माता-पिता की टिप्पणियों को प्रस्तुत किया जाएगा।

- स्कूल डिस्ट्रिक्ट माता-पिता संबंधी भागीदारी व अपेक्षाओं की निम्नलिखित परिभाषा द्वारा नियंत्रित किया जाएगा कि उसके शीर्षक I स्कूल ईएसएसए की धारा 8101 की परिभाषा की अनुरूपता में कार्यक्रमों, गतिविधियों, व प्रक्रियाओं को क्रियान्वित किया जाएगा:

  माता-पिता की भागीदारी का अर्थ होता है विद्यार्थी द्वारा अकादमिक शिक्षा और अन्य स्कूल संबंधी गतिविधियों सहित माता-पिता की नियमित, दो-तरफ़ा, और अर्थपूर्ण संवाद में भागीदारी जिसमें निम्नलिखित को सुनिश्चित किया जाता है:

  (क) माता-पिता उनके बच्चे की शिक्षा में सहायता करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
  (ख) माता-पिता को स्कूल में उनके बच्चे की शिक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है
  (ग) माता-पिता उनके बच्चे की शिक्षा में पूर्ण भागीदार होते हैं और जहाँ उपयुक्त हो, उनके बच्चे की शिक्षा में सहायता के लिए निर्णय लेने व सलाहकार समितियों में शामिल होते हैं
  (घ) अन्य गतिविधियां क्रियान्वित की जाती हैं, जैसे कि ईएसईए की धारा 1116 में उल्लिखित हैं

डिस्ट्रिक्ट की क्रियान्वयन विधि का विवरण आवश्यक होगा
एलईए माता-पिता भागीदारी नीति के घटक

DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट

परिकल्पना
शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों के हमारे समुदाय को प्रेरणा देना है।

मिशन
विद्यार्थियों की सफलता सुनिश्चित करना है, जो उच्च शिक्षा, कार्य, और दीर्घकालीन शिक्षा की ओर ले जाएगा।

सिद्धांत
प्रेरणा दें सफल हों श्रेष्ठ बनें।

लक्ष्य क्षेत्र I: अपक्षपात और अभिगमन के साथ विद्यार्थी की सफलता
विद्यार्थी की शिक्षा मानकों की प्रवीणता में सुधार

DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा Georgia Milestones लिटरेचर एंड-ऑफ-ग्रेड (ईओजी) मूल्यांकन के ऊपर शिक्षार्थी का विकास स्तर या उससे ऊपर अंक लाने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत को बढ़ाया जाएगा।

DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा Georgia Milestones मैथ एंड-ऑफ-ग्रेड (ईओजी) मूल्यांकन के ऊपर शिक्षार्थी का विकास स्तर या उससे ऊपर अंक लाने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत को बढ़ाया जाएगा।

संयुक्त रूप से विकसित

DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा ईएसईए की धारा 1112 के तहत अपनी एलईए माता-पिता भागीदारी योजना और ईएसईए की धारा 1116 के तहत स्कूल समीक्षा व सुधार की प्रक्रिया के संयुक्त विकास में माता-पिता को शामिल करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाहियां की जाएंगी:

माता-पिता को निम्नलिखित के माध्यम से उसकी डिस्ट्रिक्ट माता-पिता सीएलआईपी और शीर्षक I स्कूल-व्यापी/लक्षित सहायता के विकास व समीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा:

- शीर्षक I हितधारक (अतीत में पूर्व-योजना) बैठक।
- आवश्यकताओं का व्यापक मूल्यांकन (सीएनए) बैठक
- वेबसाइट और मीडिया के विभिन्न माध्यमों से माता-पिता से बातचीत।

तकनीकी सहायता

DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा विद्यार्थियों की अकादमिक उपलब्धि और स्कूल के प्रदर्शन में सुधार के लिए माता-पिता की भागीदारी की प्रभावी गतिविधियों की योजना बनाने और क्रियान्वयन में सभी शीर्षक I, भाग क स्कूलों की सहायता करने और क्षमता निर्माण के लिए निम्नलिखित अनिवार्य समन्वय, तकनिकी सहायता, और अन्य समर्थन प्रदान किया जाएगा, जिसमें शिक्षा में माता-पिता व परिवार के सदस्यों को प्रभावी रूप से शामिल करने में विशेषज्ञता रखने वाले नियोक्ताओं, व्यवसाय नेतृत्वकर्ताओं, व परोपकारी संगठनों, या अलग-अलग व्यक्तियों के साथ अर्थपूर्ण परामर्श शामिल हो सकता है:
:

डीसीएसडी द्वारा अपने सभी शीर्षक I स्कूलों को निम्नलिखित के माध्यम से स्कूल माता-पिता सहभागिता योजनाओं, स्कूल-माता-पिता अनुबंधों, और सभी शीर्षक I माता-पिता सहभागिता आवश्यकताओं को शामिल करते हुए माता-पिता सहभागिता के प्रभावी अभ्यासों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में समर्थन व तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी:

- माता-पिता भागीदारी के लिए केंद्रीय कार्यालय समर्थन - (शीर्षक I निदेशक, सहायक निदेशक,ओएफपी समन्वयक, डिस्ट्रिक्ट माता-पिता संपर्क केंद्र और प्रशासनिक संपर्क)।
- पांच (5) डिस्ट्रिक्ट-व्यापी माता-पिता केंद्र जो कि माता-पिता सहभागिता/भागीदारी का समर्थन करते हैं।
- स्कूलों द्वारा वित्त पोषित स्थानीय माता-पिता केंद्र -- स्कूल स्तरीय माता-पिता संपर्क केंद्र।
- शीर्षक I तकनिकी समर्थन और कार्य सत्र।
- शीर्षक I अनुपालन और अनुदेश प्रिंसिपल की शिखर वार्ता (शिक्षा शिविर)
- शीर्षक I की नई जानकारियों को साझा करने के लिए प्रिंसिपल की बैठकों में शीर्षक I की भागीदारी

वार्षिक मूल्यांकन

DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा माता-पिता व परिवार के सदस्यों की अर्थपूर्ण की भागीदारी के साथ, अपने शीर्षक I, भाग क स्कूलों की अकादमिक गुणवत्ता में सुधार के लिए इस माता-पिता व परिवार सहभागिता नीति की सामग्री और प्रभावशीलता का वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन में गतिविधियों में माता-पिता द्वारा अधिक भागीदारी को लेकर आने वाली रुकावटों की पहचान शामिल होगी (उन माता-पिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, विकलांग, अंग्रेज़ी का सीमित ज्ञान रखने वाले, कम पढ़े-लिखे, या जिनका संबंध अल्पसंख्यक जाति से हो)। इस मूल्यांकन में माता-पिता और परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पहचान को भी शामिल किया जाएगा जिससे कि स्कूल के कर्मचारियों व शिक्षकों से बातचीत करने और स्कूल और परिवार के बीच सफल संवाद की रणनीतियों सहित उनके बच्चों की शिक्षा में सहायता की जा सके। स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा माता-पिता की अधिक प्रभावी सहभागिता के लिए साक्ष्य आधारित रणनीतियों को डिज़ाइन करने, और आवश्यकता

पड़ने पर अपनी माता-पिता व परिवार सहभागिता नीतियों में संशोधन के लिए अपनी माता-पिता व परिवार सहभागिता नीति और गतिविधियों के बारे में मूल्यांकन के नतीजों का प्रयोग किया जाएगा।

एकाधिक रणनीतियों के प्रयोग से डीसीएसडी द्वारा शीर्षक I कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं किन्तु ये यहीं तक सीमित नहीं हैं:
- कार्यक्रम वित्त पोषण और समापन मूल्यांकन जिसे कार्यकारी निदेशक, पाठ्यक्रम, अनुदेश, और पेशेवर शिक्षा और संघीय कार्यक्रम कार्यालय द्वारा सुविधाजनक बनाया गया है।
- डिस्ट्रिक्ट व्यापी सर्वेक्षण से माता-पिता से फीडबैक।
- डिस्ट्रिक्ट व स्कूल स्तर की बैठकों की योजना बनाने से पूर्व माता-पिता से जानकारी का संग्रह डिस्ट्रिक्ट व्यापी सर्वेक्षण से माता-पिता से फीडबैक।

धन का आरक्षण

DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा शीर्षक I, भाग क स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के माता-पिता व परिवार के सदस्यों को शामिल कर निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार से माता-पिता व परिवार सहभागिता के लिए शीर्षक I, भाग क के लिए आरक्षित धन को खर्च किया जाए और सुनिश्चित किया जाएगा कि उस 1 प्रतिशत आरक्षित धन का कम से कम 90 प्रतिशत सीधे शीर्षक I स्कूलों तक पहुंचे..

डीसीएसडी द्वारा एक से अधिक प्रकार से शीर्षक I धन का आरक्षण बजट का प्रयोग किया जाएगा जिसमें शामिल हैं: **वेतन** डिस्ट्रिक्ट माता-पिता अधिकारी
आपूर्ति/ संसाधन डिस्ट्रिक्ट व्यापी माता-पिता केंद्र डिस्ट्रिक्ट व्यापी माता-पिता वर्कशॉप शीर्षक I अनुपालन और अनुदेश प्रिंसिपल की शिखर वार्ता
संवाद 10 शीर्ष भाषाओं में शीर्षक I माता-पिता संवाद व दस्तावेज़ का अनुवाद डिस्ट्रिक्ट माता-पिता बैठकों (सीएलआईपी, माता-पिता सहभागिता नीति) के लिए अनुवादक
अन्य डिस्ट्रिक्ट व्यापी शीर्षक I माता-पिता सम्मलेन माता-पिता अधिकारी की यात्रा और माइलेज की प्रतिपूर्ति
डीसीएसडी द्वारा माता-पिता को शामिल होने और निम्नलिखित के दौरान शीर्षक I धन का आरक्षण के प्रयोग के लिए अनुशंसाएं/सुझाव प्रदान करने के अवसर दिए जाएंगे: - शीर्षक I पूर्व-योजना डिस्ट्रिक्ट बैठकें - शीर्षक I स्कूल स्तरीय समुदाय बैठकें - डिस्ट्रिक्ट माता-पिता वर्कशॉप/प्रशिक्षण

सेवाओं का समंवय

<u>DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट</u> निम्नलिखित द्वारा माता-पिता को उनके बच्चों की शिक्षा में ज्यादा अधिक रूप से भाग लेने में प्रोत्साहित व समर्थन करने वाले अन्य प्रासंगिक संघीय, राज्य, और स्थानीय कानूनों के साथ जहाँ तक संभव व उचित हो माता-पिता व परिवार सहभागिता रणनीतियों के साथ माता-पिता व परिवार सहभागिता रणनीतियों को समन्वित व एकीकृत किया जाएगा::

1. संघीय कार्यक्रम कार्यालय (ओएफपी) से समर्थन द्वारा।
2. पांच क्षेत्रीय केंद्रों और छत्तीस स्कूल केंद्रों पर माता-पिता केंद्रों तक माता-पिता को पहुँच स्थापित प्रदान कर।
3. समुदाय, माता-पिता और हितधारकों की आवश्यकता को समायोजित करने के लिए क्षेत्रीय केंद्रों को सप्ताह में एक बार देर तक खुला रखते हुए।

माता-पिता की क्षमता का निर्माण

<u>DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट</u> द्वारा अपने शीर्षक I स्कूलों की सहायता से साक्षरता जैसे विषयों पर सामग्री व प्रशिक्षण प्रदान करते हुए और माता-पिता को उनके बच्चों की अकादमिक उपलब्धि में सुधार करने के लिए उनके बच्चों के साथ काम करने में सहायता के लिए तकनीक (कॉपीराइट की चोरी के नुकसान के बारे में शिक्षा सहित) के प्रयोग से माता-पिता की मजबूत भागीदारी के लिए माता-पिता की क्षमता का निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित विषयों को समझने में माता-पिता को सहायता भी प्रदान की जाएगी:

- राज्य के चुनौतीपूर्ण अकादमिक मानक
- राज्य और स्थानीय अकादमिक मूल्यांकन जिसमें वैकल्पिक मूल्यांकन शामिल हैं
- शीर्षक I, भाग क की आवश्यकताएं,
- उनके बच्चे की प्रगति की निगरानी कैसे की जाए
- किस प्रकार से शिक्षकों के साथ कम किया जाए

माता-पिता को उनके विद्यार्थी की अकादमिक सफलता में सहायता हेतु समर्थन के लिए वर्कशॉप/कार्यक्रम, कक्षाएं, संसाधन प्रदान किए जाएंगे जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं किन्तु जो यहीं तक सीमित नहीं हैं:

1. शीर्षक I माता-पिता भागीदारी सम्मलेन (जिला व क्षेत्रीय)।
2. समेकित एलईए सुधार योजना (सीएलआईपी) (वार्षिक)।
3. शीर्षक I माता-पिता भागीदारी नीति बैठक (वार्षिक)।
4. माता-पिता वर्कशॉप (उदाहरण के लिए, Georgia Milestone, Infinite Campus, आदि)
5. डिस्ट्रिक्ट व्यापी शीर्षक I माता-पिता सम्मलेन।

स्कूल स्टाफ की क्षमता का निर्माण

<u>DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट</u> निम्न द्वारा, अपने स्कूलों और माता-पिता की सहायता से, अपने शिक्षकों, विशेष अनुदेशात्मक समर्थन कर्मियों, प्रिंसिपलों और अन्य स्टाफ को सिखाया जाएगा कि माता-पिता के योगदान के महत्त्व और उपयोग को समझने में बराबर के भागीदार के रूप में माता-पिता तक कैसे पहुंचा जाए, बातचीत की जाए, और काम किया जाए, और कैसे माता-पिता कार्यक्रमों को अमल में लाया जाए और समन्वय किया जाए और माता-पिता और स्कूलों के बीच संबंधों का निर्माण किया जाए:

डिस्ट्रिक्ट और/या स्कूलों द्वारा बैठकों, वर्कशॉप, प्रशिक्षण, वेबिनार और संसाधनों के माध्यम से क्षमता निर्माण किया जाएगा जिसका कि प्रयोग निम्नलिखित के माध्यम से समान भागीदारों के रूप में माता-पिता के साथ कार्य करने के लिए किया जाएगा:

1. स्कूल प्रशासन/प्रिंसिपलों और/या नामित स्टाफ के लिए मासिक बैठकें।
2. शीर्षक I द्वारा वित्त पोषित स्टाफ के लिए पेशेवर शिक्षण।
3. शीर्षक I शीर्षक I अनुपालन और अनुदेश प्रिंसिपल की शिखर वार्ता।

डिस्ट्रिक्ट व स्कूलों द्वारा जहाँ तक व्यवहार्य हो, और माता-पिता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में एक प्रारूप में माता-पिता को स्कूल और माता-पिता कार्यक्रमों, बैठकों, और अन्य गतिविधियों से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी।

भागीदारी के लिए क्षमता निर्माण

- ☐ शिक्षकों, प्रिंसिपलों, और अन्य प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के विकास में माता-पिता की भागीदारी जिससे उस प्रशिक्षण की प्रभावशीलता में सुधार आए
- ☐ शीर्षक I, भाग क धन से माता-पिता के लिए अनिवार्य साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करना यदि स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा उस प्रशिक्षण के लिए अन्य सभी यथोचित रूप से उपलब्ध धन के संसाधनों का उपयोग कर लिया गया हो
- ☐ परिवहन और बच्चे की देखभाल से जुड़े खर्च सहित माता-पिता सहभागिता गतिविधियों से जुड़े यथोचित व आवश्यक खर्चों का भुगतान, जिससे माता-पिता को स्कूल संबंधित बैठकों व प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने में सक्षम किया जा सके
- ☐ अन्य माता-पिता की भागीदारी को बढ़ाने के लिए माता-पिता को प्रशिक्षित करना
- ☐ अलग-अलग समय बच्चों की शिक्षा, स्कूल बैठकों की व्यवस्था में माता-पिता की सहभागिता व भागीदारी को बढ़ाना या शिक्षकों या अन्य प्रशिक्षकों के बीच घर पर सम्मलेन आयोजित करना जो सीधे प्रतिभागी बच्चों, स्कूल में सम्मेलनों में उपस्थित रहने में असमर्थ माता-पिता के साथ काम करते हों
- ☐ माता-पिता की भागीदारी में सुधार के लिए मॉडल पद्धतियों को अपनाना व क्रियान्वित करना
- ☐ शीर्षक I, भाग क कार्यक्रमों में माता-पिता की भागीदारी से संबंधित सभी मामलों के ऊपर सलाह प्रदान करने के लिए डिस्ट्रिक्ट व्यापी माता-पिता सलाहकार परिषद स्थापित करना
- ☐ माता-पिता भागीदारी गतिविधियों में आस्था आधारित संगठनों सहित समुदाय आधारित संगठनों और व्यवसायों के लिए उचित भूमिकाएं स्थापित करना

अंगीकरण

जैसा कि शीर्षक I हितधारक बैठक, आवश्यकताओं का व्यापक मूल्यांकन बैठक और स्कूल/डिस्ट्रिक्ट वेबसाइटों और मीडिया के विभिन्न रूपों के माध्यम से इस एलईए माता-पिता सहभागिता नीति को शीर्षक I, भाग क कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बच्चों के माता-पिता के साथ संयुक्त रूप से सहमित के साथ तैयार किया गया है।

इस नीति/योजना को शुरू में माता-पिता व हितधारक द्वारा प्रदान जानकारी पर 13 जुलाई, 2017 को वितरित किया गया था। उसे माता-पिता द्वारा फीडबैक पर 31 जुलाई, 2017 को संशोधित किया गया, 7 अगस्त, 2017 को पुनःवितरित किया गया और जीएडीओई सीएलआईपी की अनुशंसाओं के साथ नवीकृत किया गया और **09/20/17** को DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा अपनाया गया। यह नीति/योजना अगस्त 2017-अगस्त 2018 की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी। स्कूल डिस्ट्रिक्ट द्वारा 30 अक्तूबर, 2017 को या पहले शीर्षक I, भाग क में भाग लेने वाले बच्चों के माता-पिता के पास इस नीति का वितरण किया जाएगा।